राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञप्ति

क्रमांकः एफ.7 (28) परीक्षा 'क'/प्रधानाध्यापक (मावि) /2017–18/ 1502 दिनांकः 30.10.2018

आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (मावि) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 हेतु जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.09.2018 के अनुक्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों से उनके प्रवेश पत्र एवं मान0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रति उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के संदर्भ में आयोग की ई मेल feedback.rpsc@rajasthan.gov.in पर दिनांक 18.09.2018 तक आयोग को प्रस्तुत किए जाने हेतु सूचित किया गया था परन्तु कतिपय याची अभ्यर्थियों द्वारा आज दिनांक तक भी उक्त आशय की सूचना से आयोग को अवगत नहीं कराया गया है।

चूँकि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाना है। अतः ऐसे याची अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वैब साइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड कर दी गई है जिन्होंने आज दिनांक तक भी प्रवेश पत्र एवं मान0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की है, वे अभ्यर्थी दिनांक 06.11.2018 तक आवश्यक रूप से व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा आयोग कार्यालय में उक्त वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर देवें ताकि न्यायिक आदेशों की पालना की जाना संभव हो सके। याची अभ्यर्थियों द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आयोग द्वारा न्यायिक आदेशों की पालना की जाना संभव नहीं हो सकेगा **ऐसे याचिओं द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने/तथ्य छिपाने के कारण आयोग द्वारा किया गया चयन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं याची अभ्यर्थी की होगी।**

(पी.सी.बेरवाल)
सचिव